प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–16.06.2023 (314)

सरकार के आत्मसमर्पण सह पुनर्वासन नीति के अन्तर्गत योजना का लाभ देने हेतु योग्य 04 नक्सली चयनित

- आत्मसमर्पण सह पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत LWE के उच्च श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 5 लाख रुपये तथा अन्य श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपये दिये जाने की व्यवस्था है।
- विभिन्न प्रकार के हथियारों के सरेण्डर करने पर अलग अलग इन्सेन्टिव दिये जाने की व्यवस्था है।
- इस योजना के अन्तर्गत योग्य व्यक्ति प्रारम्भ में पुनर्वास केन्द्र में रहेंगे, जहाँ उन्हें उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपये भत्ता अधिकतम 03 वर्षों के लिये देय होगा।
- उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी Surrender-CUM-Rehabilitation Scheme of LWE के अन्तर्गत वर्ष 2013 से वर्ष 2022 तक कुल 96 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। वर्ष 2023 में अभी तक कुल 04 नक्सलियों नें आत्मसमर्पण किया है। इस प्रकार वर्ष 2013 से अभी तक 96+04=100 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया।

- **दिनांक 14.06.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना की अध्यक्षता में** आत्मसर्मपण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वासन हेतु **राज्य स्तरीय "समर्पण सह पुनर्वासन" समिति की बैठक में** योजना के अन्तर्गत योग्य पाते हुये **04 वामपंथी उग्रवादियों को कुल लाभ** देने हेतु चयनित किया गया। इस हेतु कुल 23,10,008 रुपये दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। विवरण निम्न प्रकार हैं:–

1. नागेश्वर कोड़ा, ग्राम जतकुटिया, थाना धरहरा, जिला मुंगेर।

- **संगठन**– भाकपा माओवादी।
- **पद**– दस्ता सदस्य।
- **आत्मसमर्पण की तिथि**– 13.06.2022
- **आपराधिक इतिहास**– 17 काण्ड अंकित हैं।
- **योजना के अन्तर्गत देय तात्कालिक सहायता राशि**– 2,50,000 रुपये।
- **रोजगार हेतु भत्ता**– प्रतिमाह 10 हजार रुपये की दर से अधिकतम 36 माह के लिए (कुल 3,60,000 रुपये)।
- **सरेण्डर हथियार के लिए प्रोत्साहन राशि**–3,288 रुपये।
- **कुल देय अनुशंसित राशि**–6 लाख 13 हजार 288 रुपये।

2. **बालेश्वर काड़ा उर्फ मुखिया जी, ग्राम चोरमारा, थाना बरहट, जिला जमुई।**

- **संगठन**– भाकपा माओवादी।
- **पद**– स्पेशल प्लाटून कमाण्डर।
- **आत्मसमर्पण की तिथि**– 13.06.2022
- **आपराधिक इतिहास**– **<u>63 काण्ड अंकित</u>** हैं।
- **योजना के अन्तर्गत देय तात्कालिक सहायता राशि**– 2,50,000 रुपये।
- **रोजगार हेतु भत्ता**– प्रतिमाह 10 हजार रुपये की दर से अधिकतम 36 माह के लिए (कुल 3,60,000 रुपये)।
- **सरेण्डर हथियार के लिए प्रोत्साहन राशि**–180 रुपये।
- **कुल देय अनुशंसित राशि**–6 लाख 10 हजार 180 रुपये।

3. **अर्जुन कोड़ा, ग्राम चोरमारा, थाना बरहट, जिला जमुई।**

- **संगठन**– भाकपा माओवादी।
- **पद**– एरिया कमाण्डर।
- **आत्मसमर्पण की तिथि**– 13.06.2022
- **आपराधिक इतिहास**– **<u>36 काण्ड अंकित</u>** हैं।
- **योजना के अन्तर्गत देय तात्कालिक सहायता राशि**– 2,50,000 रुपये।
- **रोजगार हेतु भत्ता**– प्रतिमाह 10 हजार रुपये की दर से अधिकतम 36 माह के लिए (कुल 3,60,000 रुपये)।
- **सरेण्डर हथियार के लिए प्रोत्साहन राशि**–10,540 रुपये।
- **कुल देय अनुशंसित राशि**–6 लाख 20 हजार 540 रुपये।

4. **डॉ0 सोरेन कोड़ा उर्फ सुरेन्द्र कोड़ा, ग्राम चोरमारा, थाना बरहट, जिला जमुई।**

- **संगठन**– भाकपा माओवादी।
- **पद**– जोनल कमाण्डर।
- **आत्मसमर्पण की तिथि**– 26.10.2020
- **आपराधिक इतिहास**– 1**<u>3 काण्ड अंकित</u>** हैं।
- **योजना के अन्तर्गत देय तात्कालिक सहायता राशि**– 2,50,000 रुपये।
- **रोजगार हेतु भत्ता**– प्रतिमाह 06 हजार रुपये की दर से अधिकतम 36 माह के लिए (कुल 2,16,000 रुपये)।
- **कुल देय अनुशंसित राशि**–4 लाख 66 हजार रुपये।

XXXXXXXX